

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

ई-मेल:-ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांक: एफ. 14(ROAD)2024 / एफसीए / प्रमुवसं. / 1169

दिनांक 05/8/2025

विशिष्ट शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:-Diversification of 13.558 Ha. of forest land in for KOTA-DHARNAWADA ROAD KM 132/500 TO 137/500.

(Proposal No.-FP/RJ/ROAD/6979/2014)

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र
दिनांक 29.07.2025 क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के प्रस्ताव में IRO से दिनांक 29.07.2025 को मंत्रालय नई दिल्ली को भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये थे। उक्त के संबंध में मंत्रालय को भेजने का विकल्प आपके स्तर पर ही आता है।

अतः प्रस्ताव को आपके कार्यालय स्तर से ही सीधे मंत्रालय को भिजवाये जाने का श्रम करें।

संलग्न:-उक्तानुसार ।

भवदीय,



(के.सी.ए. अरुण प्रसाद)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE
CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/ Regional Office, Gandhinagar



बी 215 & बी 216 "अरण्य भवन", झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर - 302008 / A-218 & B-216, "ARANYA BHAWAN", Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004
दूरभाष/Tel No: 0141-2713858 Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in & kr.meena@nic.in

दिनांक: 29th जूलाई, 2025

सेवा में,
शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन
जयपुर, राजस्थान।

(ऑनलाईन क्रमांक FP/RJ/ROAD/6979/2014)

विषय: Diversion of 13.558 ha of forest land for upgradation of Kota-Dharanawada Road Km. 132/500 to 137/500 in favour of Executive Engineer, Public Works Department, Rajasthan.

दर्भ: राज्य शासन, राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक प.1(67)वन/2015 दिनांक 07.07.2025.

महोदय,

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अंतर्गत उपर्युक्त प्रस्ताव हेतु केंद्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित था। प्रस्ताव की जांच के पश्चात् यह पाया गया कि प्रस्ताव में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का कुछ उल्लंघन है। वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन से संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार सीधे मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि प्रस्ताव सीधे मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत करें/Approval of the Central Government was sought for the proposal above mentioned under Section-2 of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. After examination of the proposal, it is found that the proposal involves some violation of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. Proposals related to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 are required to be submitted by the state government directly to the Ministry as per the recent guidelines. Therefore, the State Government is requested to submit the proposal directly to the Ministry, New Delhi.

भवदीय,

Digitally signed by

(बालाजी करी/Balaji Kari)

सहायक वनमहानिरीक्षक/Assistant Inspector General Forests
क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/Regional Office, Gandhinagar.

Date: 30-07-2025
13:36:45

प्रतिलिपि: (ई-मेल द्वारा)

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, बारां वनमण्डल, बारां, राजस्थान।
3. अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, छाबड़ा संभाग, बारां, राजस्थान।
4. आदेश पत्रावली।